

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2067/2026**

बिद्युत बिस्वास उर्फ नीलसेन विश्वास

.....

आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	आशीष शुक्ला, ओ.पी. तिवारी
विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13**माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. सुश्री वीना गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित हुईं और उन्होंने शिकायतकर्ता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे पत्रावली में संरक्षित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता/सूचनादाता के अधिवक्ता को सुना गया।
3. धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दायर इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक, जो मुकदमा अपराध संख्या 882/2025, धारा 64(1), 352, 351(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (धारा 376, 504, 506, 120-बी भारतीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दण्ड संहिता के समान), थाना- कोतवाली, जिला उन्नाव में संलिप्त है, वाद के विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।

4. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 07.10.2025 को धारा 64(1), 352, 351(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत वर्तमान आवेदक सहित चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सह-आरोपी समीर शाह ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाया तथा शिकायतकर्ता को वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद सह-आरोपी समीर शाह ने शादी का झूठा वादा भी किया। वर्तमान आरोपी बिद्युत बिस्वास उर्फ नीलसेन विश्वास, सह-आरोपी समीर शाह की मां और बहन समीर शाह द्वारा किए गए अपराध में भागीदार हैं। वर्तमान आवेदक ने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग आईडी के माध्यम से शिकायतकर्ता को संदेश भेजना शुरू किया और उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि धारा 64(1), 352, 351(2), 61(2) के तहत मुख्य आरोप सह-आरोपी समीर शाह के खिलाफ हैं और वर्तमान आवेदक के खिलाफ आरोप है कि वह इंस्टाग्राम पर अलग-अलग आईडी के माध्यम से शिकायतकर्ता को संदेश भेजता था और उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देता था।

6. आगे यह तर्क दिया गया है कि जांच के दौरान, सूचनाकत्री/कथित पीड़िता ने आवेदक द्वारा उसे भेजे गए किसी भी संदेश को उपलब्ध नहीं कराया है और अपने इस कथन के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत सूचनाकत्री द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिए गए बयान की ओर दिलाया है, जिसमें पुलिस द्वारा कोई वीडियो या स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर, उसने उत्तर दिया था कि वह उसके पास उपलब्ध नहीं है।

7. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि सह-आरोपी के विरुद्ध मानहानि और विवाह का झूठा वादा करने का मुख्य आरोप है, परन्तु चिकित्सा साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती, अर्थात् प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य से मेल नहीं खाता।

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि न तो प्राथमिकी में और न ही दंडाधिकारी के समक्ष धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता [धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता] के अंतर्गत दायर आवेदन में आवेदक द्वारा वीडियोग्राफी का ऐसा कोई आरोप लगाया गया था, और यह आरोप पहली बार धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में मामले को मनगढ़ंत बनाकर लगाया गया था।

9. आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, इसके अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 23.01.2026 से जेल में है।

10. दूसरी ओर, प्राप्त निर्देशों और अभियोग दैनिक के आधार पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकत्री की विद्वान अधिवक्ता सुश्री वीना गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस मामले में संलिप्त है और वह अपराध करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करने में असमर्थ है।

11. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के पत्रावली का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया यह पाया गया, कि धारा 64(1), 352,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

351(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध का आरोप मुख्य रूप से सह-आरोपी समीर शाह के विरुद्ध है और वर्तमान आवेदक द्वारा अलग-अलग पहचान पत्रों का उपयोग करके सूचनाकत्री को धमकाने के आरोप के संबंध में पुलिस को आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है क्योंकि जांच के दौरान सूचनाकत्री द्वारा कोई पहचान पत्र प्रदान नहीं किया गया था। अतः, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

12. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

13. आवेदक बिद्युत बिस्वास उर्फ नीलसेन विश्वास को उपरोक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

15. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारणीय न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

23 मार्च, 2026

नितेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।